न्यायालय– अवर न्यायाधीश, षष्ठम्, पटना सिटी

<u>इजराय वाद सं0–3 / 2018</u>
सीआईएस–113 / 2018

आदेश

19-04-2023 प्रस्तुत अभिलेख आज उपस्थापित किया गया। प्रस्तुत इजराय वाद में डिकी होल्डर की ओर से आवेदन दिनांक–04.07.2022ए 06.08.2022 एवं 05.11.2022 के आवेदन को संयुक्त रूप से संचालित करते हुए अभिकथन करते हैं कि इस इजराय वाद में 28.02.2018 के डिकी को फाइल किया गया है। तत्पश्चात् दिनांक–20.06.2019 को न्यायालय द्वारा दखल देहानी निर्गत किया गया है। उसके पश्चात् नाजिर पटना के द्वारा यह प्रतिवेदन लगाते हुए वापस किया गया है कि कोरोना के कारण तामिल नहीं किया गया। इसलिए न्यायालय से निवेदन है कि पुनः दखल देहानी निर्गत करने का आदेश दिया जाय।

सुना। अभिलेख के अवलोकन व परिशीलन से ज्ञात होता है कि आदेश दिनांक–06.05.2019 को न्यायालय द्वारा दखल देहानी जारी करने का आदेश प्राप्त और दखल देहानी प्रपत्र दिनांक–20.06.2019 को निर्गत है। तत्पश्चात् नाजिर पटना सिटी के द्वारा यह प्रतिवेदन समर्पित किया गया है कि कोरोना वायरस के कारण तामिला नहीं किया गया। अग्रिम आदेश हेतु वापस किया जाता है, जो दिनांक–14.03.2022 को दिया गया है। इस प्रकार प्रार्थी के आवेदन को न्यायहित में स्वीकृत करते हुए दखल देहानी हेतु पुनः दखल देहानी पत्र निर्गत करने का आदेश दिया जाता है। वाद वास्ते दिनांक–06.07.2023 अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु।

लेखापित

अवर न्यायाधीश, षष्ठम्
पटना सिटी